अध्याय 13: समान अवसर

ईक्वल ऑपर्च्युनिटीज कमीशन

ईक्वल ऑपर्च्युनिटीज कमीशन (EOC) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1996 में हांगकांग में भेदभाव-रोधी अध्यादेशों, जिनके नाम हैं सेक्स डिस्क्रीमिनेशन ऑर्डिनेंस (SDO), डिसएबिलिटी डिस्क्रीमिनेशन ऑर्डिनेंस (DDO), फेमिली स्टेटस डिस्क्रीमिनेशन ऑर्डिनेंस (FSDO) और रेस डिस्क्रीमिनेशन ऑर्डिनेंस (RDO) को लागू करने के लिए की गई थी.

भेदभाव-रोधी विधेयक

वर्तमान में हांगकांग के चार भेदभाव-रोधी अध्यादेश लिंग, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, पारिवारिक स्थिति और जाति के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करते हैं. **भेदभाव का अर्थ है** किसी व्यक्ति के साथ बगैर औचित्य के कारणों या परिस्थितियों के उनके होने
(जैसे लिंग या जाति) या उनकी खास विशेषताओं के कारण (जैसे विकलांगता) के कारण कम अनुकूल व्यवहार करना। यह कानून उत्पीड़न और तिरस्कार के साथ ही यौन उत्पीड़न के विरूद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है. **यह अध्यादेश सार्वजनिक जीवन में विभिन्न गतिविधियों को कवर करता है, इनमें मुख्यत: शामिल हैं:**

- रोजगार
- शिक्षा
- वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान
- परिसरों का निपटान या प्रबंधन
- परामर्श निकायों में वोट देने या चुने जाने की योग्यता
- क्लब और स्पोर्टिंग गतिविधियों में भागीदारी
- सरकार की गतिविधियां

SDO के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरूद्ध लिंग, वैवाहिक स्थिति या गर्भावस्था के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है। SDO रोजगार, शिक्षा, वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं के प्रावधान और परिसरों के निपटान या प्रबंधन के क्षेत्रों में यौन उत्पीडन से भी संरक्षा करता है। यौन उत्पीडन दुसरे व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का अनचाहा यौन व्यवहार है। इसमें व्यक्ति को छूना, गंदा मजाक करना या संभोग के लिए पूछने जैसे कृत्य शामिल है किंतु इन तक सिमित नहीं है।

DDO के अंतर्गत, विकलांग व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से तिरस्कार करना, या विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव या उत्पीड़न करना गैर-क़ानूनी है।

विकलांगता उत्पीड़न में ऐसा व्यवहार शामिल है जिससे विकलांग व्यक्ति को दुःख हो और अपमानित महसूस करे जैसे व्यक्ति की विकलांगता के बारे में भद्दी टिप्पणियां, मजाक, तस्वीरें और पाठ संदेश आदि।

FSDO के अंतर्गत, परिवार की स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव करना गैर क़ानूनी है। परिवार की स्थिति का अर्थ है परिवार के तात्कालिक सदस्य के लिए जिम्मेदारी की भावना की स्थिति। व्यक्ति के परिवार के तात्कालिक सदस्य का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिससे व्यक्ति का खून का, विवाह से, गोने लेने से या प्रेमवश रिश्ता है।

RDO **के अंतर्गत, किसी व्यक्ति से उसकी नस्ल के आधार पर भेदभाव, उत्पीड़न या तिरस्कार करना गैर क़ानूनी है।** एक व्यक्ति के संबंध में नस्ल का अर्थ है व्यक्ति की जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय या जातीय मूल। नस्लीय उत्पीड़न में ऐसा व्यवहार शामिल है जिससे एक निश्चित नस्ल का व्यक्ति को क्रोध आए और अपमानित या डरा हुआ महसूस करे जैसे व्यक्ति की नस्ल के बारे में भद्दी टिप्पणियां, मजाक, तस्वीरें और पाठ संदेश आदि।

EOC आपके लिए क्या कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसे यह लगता है कि उसके साथ अध्यादेश में वर्णित किए अनुसार भेदभाव, उत्पीड़न या तिरस्कार हुआ है वह EOC के पास लिखित रूप में एक शिकायत दर्ज करवा सकता/ती है. EOC एक पीड़ित "केंद्रित-दृष्टिकोण"

अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि शिकायत का निपटान करने में निष्पक्षता और पक्षपात रहित होने सिद्धांतों के साथ बने रहना है. यदि किसी शिकायकर्ता को लिखित शिकायत तैयार करने में कठिनाई होती है तो वह EOC ऑफिस में संपर्क कर सकता/ती है। EOC आपकी कठिनाई का पता लगाएगा और प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विचार करेगा क्या कोई लेखन सहायता प्रदान की जाए।

EOC एक न्यायालय या एक ट्रिब्यूनल नहीं है। इसके पास भेदभाव, उत्पीड़न या तिरस्कार के दावों पर निर्णय करने करने की शक्ति नहीं है। यह एक कानूनी सहायता एजेंसी नहीं है। तथापि, EOC शिकायतों की जांच-पड़ताल और सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान करने में मदद कर सकता है। यदि किसी मामले में सुलह नहीं होती है तो शिकायतकर्ता कानूनी सहायता सहित अन्य सहायता के लिए EOC को आवेदन कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा चार अध्यादेशों के अंतर्गत सीधे जिला न्यायालय में कानूनी कार्रवाई भी आरंभ की जा सकती है।

कमीशन और अध्यादेशों के बारे में और जानकारी के लिए कृपया EOC वेबसाइट www.eoc.org.hk का संदर्भ देखें या EOC कार्यालय में संपर्क करें। अनुरोध करने पर दुभाषिया उपलब्ध करवाया जाएगा।

पता: 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

EOC के कार्य के बारे में जानकारी तक EOC के मोबाइल ऐप द्वारा पहुँच सकते हैं:

Available on the iPhone App Store 下載平機會 iPhone應用程式

ANDROID APP ON Google play 下載平機會 Android應用程式

टेली: **2511-8211**
ईमेल: eoc@eoc.org.hk
वेबसाइट: www.eoc.org.hk
SMS पूछताछ सेवा: 6972566616538
（短訊查詢服務）
कार्यालय समय: सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:45 से सायं 5:45pm